संख्या– 1675/81–2–2020–800(161)/2017

प्रेषक,

डॉ0 दीपक कोहली
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

**पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2** **लखनऊ, दिनांक 31 अगस्त, 2020**

विषयः– रिलायन्स 4 जी परियोजना हेतु ओबरा वन प्रभाग की कुल 0.2901 हे0 आरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के भूमिगत आप्टिकल फाइबर केबिल (ओ0एफ0सी0) बिछाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र स्रख्य्रा–2205/14–2–2018–800(161)/2017 दिनांक 29–8–2019_ के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र द्वारा वांछित स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या अद्यतन अप्राप्त है, जिसके कारण परियोजना में विलम्ब हो रहा है। अतः कृपया वांछित आख्या स्पष्ट संस्तुति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3– उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में आरक्षित वन भूमि का गैरवानिकी प्रयोग किया जाना है। वन विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19.07.1999 के प्रस्तर–1 (3) में विहित व्यवस्था से आच्छादित है। अतएव आरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग हेतु प्रयोक्ता एजेंसी को लीज पर दी जायेगी। यह स्पष्ट किया जाय कि कथित वनभूमि कितने वर्षो की लीज पर दी जायेगी। कृपया शासन को प्रेषित किये जाने वाले अपने सभी पत्रों में आपत्तियों के उत्तर का उल्लेख करते हुये स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Kohli

(डॉ0 दीपक कोहली)
संयुक्त सचिव